न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध वाद संख्या–199/2012
सुशील प्रसाद ठाकुर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
13/03/15	**आदेश** आवेदक की ओर से हाजरी अप्राप्त। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लु0जे0सी0 सं0– 2751/2012 में दिनांक 13.08.12 को पारित आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी, हनुमाननगर से वाद आवेदन के आलोक में आवेदक की निजी स्वामित्व वाली भूमि से मिट्टी की कटाई की गयी है, अथवा नही ? के संबंध में प्रतिवेदन की मॉग की गयी। अंचल अधिकारी हनुमाननगर के द्वारा पत्रांक–216 दिनांक 31.03.14 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि खाता सं0–118 खेसरा सं0–441 नया खाता–237 खेसरा–440 नया खाता–246 खेसरा सं0–344 का जिक्र आवेदक के आवेदन में है, जिसमें मिट्टी की कटाई नही की गयी है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक वाद दाखिल करने के बाद से ही यानि दिनांक 07.02.13 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.13 को वाद मे रूचि लेने हेतु आवेदक को निदेशित गया था। इसका अनुपालन नही कर वे अपना पक्ष नही रख रहे हैं, जिस कारण आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन खारिज योग्य है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यो के अवलोकन से स्पष्ट हाता है कि आवेदक इस कार्यवाही मे दिनांक 07.02.13 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को इस कार्यवाही मे कोई अभिरूचि नही रह गयी है। साथ ही अंचल अधिकारी हनुमाननगर के पत्रांक 216 दिनांक 30.03.14 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आवेदन में वर्णित खेसरा में मिट्टी कटाई नहीं की गयी है। अतएव उपर्युक्त विवेचना के आलोक में आवेदक के द्वारा दायर वाद पर आगे किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः वाद आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 13/3/15 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	